न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2018
2018/00085

प्रार्थीगण

1. करमी
2. दरगा
3. नोनजी पिसरान रगाजी
   जातियान कलबी निवसीयान
   धानोल तहसील रानीवाडा
   जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. मृतक गोदा पुत्र वेलाजी के कायम मुकाम वारीसान :–

1/1 कांतिलाल पुत्र गोदाजी
1/2 पार्वती पुत्री गोदाजी
1/3 जोजूदेवी पत्नि गोदाजी

2. मृतक रीदा पुत्र वेलाजी के कायम मुकाम वारीसानः–

2/1 मफाराम
2/2 हंसाराम पिसरान रीदाजी
2/3 देमा
2/4 मफी पुत्रींयान रीदाजी
2/5 जेठी पत्नि रीदाजी
जातियान कलबी साकिनान धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर

3. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा
5. शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा बडगांव

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता वीरबहादूर सिंह उपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 18.12.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा धानोल तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 2.21 हैक्टेयर आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 1427 दिनांक 07.07.2014 विरासत के जरिये रगा वल्द वेला फौत की बजाय करमी, दरगा, नोनजी पिसरान रगा, भूरी पुत्री रगा, भगराज मंशाराम पुत्र घाघू गीता पुत्री घाघू दर्ज हैं तथा जरिये हकतर्कनामा क खातेदार भूरी पुत्री रगा, भगराज मंशाराम पुत्र घाघू गीता पुत्री घाघू ने अपना हिस्सा प्रार्थीगण के हक में तर्क कर दिया हैं, उक्त हकतर्कनामा का म्यूटेशन में इन्द्राज नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण की है। उक्त आराजी में आने जाने व बच्चों

के विद्यालय आने जाने के लिये व कृषि कार्य के लिए जुताई का साधन, ट्रेक्टर ट्रोली आदी लाने ले जाने हेतु कोई रेकर्डेड आम रास्ता स्थित नहीं हैं तथा प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता हैं।

प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 109 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 120 व 121 की आराजी में से पूर्वी लोर पर रास्ता दिया था। उक्त रास्ता को आपसी पारिवारिक संबधों के चलते रेकर्ड में तरमीम नहीं करवाया था। उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क ए से बी स्थान तक से प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु करते आ रहे हैं। राजस्व रकर्ड में आम रास्ते पर मार्क बिन्दु ए पर लौहे की फाटक लगी हुई हैं, मगर खसरा नम्बर 121 के खातेदार बदमाशी के चलते उक्त रास्ते को बंद कर फाटक के आगे कांटे डाल देते हैं। इसलिये प्रार्थीगण उक्त नया रास्ता घोषित करवाना चाहते हैं, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश हैं।

प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 2.21 हैक्टेयर में आवागमन व कृषि उपकरण व ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु व विद्यार्थियों के विद्यालय जाने हेतु रैंकर्डेड आम रास्ता खसरा नम्बर 222 से अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 121 रकबा 1.73 हैक्टेयर से अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 1.85 हैक्टेयर में से पूर्वी माठ के लगतो लगत 12 फीट चौड़ा रास्ता नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शित अनुसार मार्क ए से बी स्थान तक प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 109 तक दिये जाने के आदेश फरमावे तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदारजी रानीवाडा को आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रानीवाडा से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार रानीवाड़ा से जवाब पत्रांक 5410 दिनाँक 28.8.2019 द्वारा दिया पेश किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण करमी, दरगा, नोनजी पि0 रगा जाति कलबी साकिन धानोल के खसरा नम्बर 109 रकबा 2.21 हैक्टेयर भूमि के खातेदार है उक्त खसरे में पहुंचने हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है एवं इन्हे मार्ग की अति आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा के आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 222 गै.मू. रास्ता है। तथा खसरा नम्बर 109 हेतु प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाला खसरा नम्बर 120 और 121 है। तथा रास्ते की लम्बाई और चौड़ाई खसरा नम्बर 120 में 112 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 448 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 121 में 124 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 496 वर्गमीटर है। प्रस्तावित खसरों की वर्तमान में डी.एल.सी. 446160 प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्ष, पहाड़, नाडी व केचमेन्ट ऐरिया में नही है। तथा संलग्न मौका फर्द में अप्रार्थी संख्या 1/1 की ओर से खसरा नम्बर 120 में से रास्ता दिये जाने हेतु सहमति प्रकट की गई है।

अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की और से इकबालिया जवाब पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 109 के पडौस में हम अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 120 आई हुई हैं। उक्त आराजी में से होकर आगे खसरा नम्बर 121 की आराजी में से होकर आगे रेकार्डेड आम रास्ता खसरा नम्बर 222 तक प्रार्थीगण व हम अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/3 आवागमन करते है, परन्तु खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 121 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 उक्त आराजी में से आवागमन करने से प्रार्थीगण व हम अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिस हेतु प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। हम अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 120 में से प्रार्थीगण को बिना प्रतिकर

लिये आपसी सहमति से रास्ता देने के लिये तैयार हैं। तथा उक्त प्रार्थना पत्र में मांग अनुसार रास्ता दिये जाने की अवस्था में हम अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 को भी रास्ता उपलब्ध हो जायेगा।

अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/2 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया द्वारा वकालतनामा पेश किया गया । तथा बिना जवाब दिये दिनांक 31.7.2019 को पैरवी करने से मना कर दिया गया । तथा अप्राथी 2/1 से 2/2 की तलवी करने पर भी कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2/3 से 2/5 की ओर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण का सामलाती खातेदारी आराजी मौजा धानोल के खाता संख्या 408 में खसरा नम्बर 109 रकबा 2.21 हैक्टेयर है। इसी ग्राम के खाता संख्या 105 में खसरा नम्बर 120 रकबा 1.85 हैक्टेयर पर मृतक गोदा वल्द वेला कौम कलबी के वारीसान अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 है। तथा खाता संख्या 457 के खसरा नम्बर पर 221 रकबा 1.73 हैक्टेयर पर मृतक रीदा वल्द वेला कौम कलबी के नाम से है, जिसके वारीसान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 है। जिसके आगे सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 222 गै.मू. रास्ता है। अप्रार्थी संख्या 3 की और से जवाब में खसरा नम्बर 120 व 121 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। तथा खसरा नम्बर 120 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा उक्त रास्ता देने के संबंध में बिना प्रतिकर लिये आपसी सहमति से रास्ता देने की सहमति दी गई। खसरा नम्बर 121 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 के द्वारा उक्त रास्ता देने के संबंध में न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति नही की गई तथा न ही कोई खण्डन किया । तथा अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार रानीवाडा के जवाब के अनुसार रास्ते की लम्बाई और चौड़ाई खसरा नम्बर 120 में 112 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 448 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 121 में 124 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 496 वर्गमीटर है। प्रस्तावित खसरों की वर्तमान में डी.एल.सी. 446160 प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 109 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 120 व 121 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की खसरा नम्बर 120 में लम्बाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 448 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 121 में लम्बाई 124 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 496 वर्गमीटर है। जो आगे खसरा नम्बर 222 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से जोडता है। तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 222 रास्ते हेतु उपयोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 120 के खातेदार अप्रार्थी 1/1 से 1/3 द्वारा बिना प्रतिकर से रास्ते हेतु अपनी सहमति देने से इनको प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा । खसरा नम्बर 120 व 121 की डी.एल.सी दर 446160 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्धि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि (496 वर्गमीटर की डी.एल.सी. दर से राशि गुणा 2) के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 2/1 से 2/5 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट अप्रार्थीगण के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत मौका प्रति अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार

खसरा नम्बर 120 में लम्बाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 448 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 121 में लम्बाई 124 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 496 वर्गमीटर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रर्ति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.24 10:39:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: